NARMADA GELATINES LIMITED

The Bombay Stock Exchange Ltd. May 23, 2024
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring, Ratunda Bldg.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001

BSE Security Code: 526739

Sub: Disclosure under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") - Publication of Financial Results.

Pursuant to Regulation 47(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31st, 2024, approved by the board of directors in its meeting held on 21st May, 2024, published in newspapers Hitavada (English daily) and Deshbandhu (Hindi daily) dated 23rd May, 2024.

Kindly take the above on your record.

Thanking You,

Your's faithfully,
For Narmada Gelatines Limited

Meenu Sharma
Digitally signed by Meenu Sharma
Date: 2024.05.23 11:41:06 +05'30'

Meenu Sharma
Company Secretary

Encl: As above

TheHitavada
Main Paper Jabalpur | 2024-05-23 | Page- 6
ehitavada.com

Narmada Gelatines Limited

Registered Office : 28 Caravs, 15 Civil Lines, Jabalpur - 482001
Tel:0761-2830433, Fax :2830516, Email:ngljbp@rediffmail.com website:www.narmadagelatines.com
CIN : L24111MP1961PLC016023

Statement of audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2024

Rs.lacs

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2024 (Audited)*	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)*	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	4,997	4,753	5,005	18,341	19,343
2	Net Profit / (loss) before tax, exceptional and extra ordinary item	657	459	628	2,058	1,981
3	Net Profit / (loss) before tax after exceptional and extra ordinary item	657	459	628	2,058	1,981
4	Net Profit / (loss) after tax	491	342	462	1,533	1,528
5	Total Comprehensive Income :					
	Item that will not be reclassified to profit & loss account : Employee Benefits - Actuarial (Gain) / Loss recognised in other comprehensive income	(27)	-	6	(27)	(5)
6	Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- each)	605	605	605	605	605
7	Earning per share (Weighted Average) (₹)					
	Basic and diluted earnings per share (Face value of Rs.10 each) (Not annualised)(Rs.)	8.12	5.65	7.64	25.34	25.26

Notes :

1. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 21st May, 2024 and have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
2. The above is an extract of the detailed format of the Audited financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024, filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results are available on the Stock Exchange website viz. www.bseindia.com and Company's website viz.www.narmadagelatines.com.

For Narmada Gelatines Limited
sd/-
(Ashok K Kapur)
Managing Director
DIN-00126807

Place: Jabalpur
21st May, 2024

Legacy

Powered by iDocuments

5/23/24, 11:16 AM Deshbandhu Jabalpur - 23 May 2024 - Page 2

देश-विदेश

12 मई को बांग्लादेशी सांसद ने भारत में किया था प्रवेश, अगले दिन हुआ लापता, 18 को मिली लाश

ढाका। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम अनार की मौत की पुष्टि हो गई है। बांग्लादेश के गृहमंत्री ने उनकी मौत की पुष्टि की है। वह अपना इलाज कराने भारत आए थे और बीते कुछ दिनों से उनका पता नहीं चल सका था। उनकी तलाश के लिए इससे पहले सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जमां खान ने मीडिया को बताया कि कोलकाता पुलिस ने अनवारुल की मौत की पुष्टि है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तीन बार के सांसद अनवारुल एक फ्लैट में मृत पाए गए। जहां वो किसी से मिलने गए थे। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने ढाका के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सांसद की हत्या कोलकाता में की गई। उनकी हत्या सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी बांग्लादेशी थे।

आयुर्वेद डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए मिलेगी आयु सीमा में छूट, नई नियमावली बनाने की कवायद

देहरादून। भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी आयुर्वेद कॉलेजों में विभिन्न डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए नई नियमावली बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें आयुर्वेद कोर्स में दाखिले के लिए युवाओं को आयु सीमा में छूट मिल सकती है।

वर्तमान में आयुर्वेद कोर्स के लिए आयु सीमा 17 से 25 वर्ष निर्धारित है, जबकि दूसरे राज्यों में अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। परिषद के माध्यम से आयुर्वेद कॉलेजों में फार्मेसी, पंचकर्म, नर्सिंग, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा समेत कई कोर्स संचालित है। अभी तक इन कोर्सों में दाखिले के लिए आयु सीमा न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित है। यदि कोई अभ्यर्थी 30 साल की आयु में आयुर्वेद कोर्स करना चाहता है, तो उसे प्रवेश नहीं मिलता, जबकि दूसरे राज्यों में अधिकतम आयु सीमा नहीं है। 17 साल से अधिक आयु का कोई भी अभ्यर्थी आयुर्वेद कोर्स कर सकता है। इसे देखते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद ने शासन को प्रवेश के लिए नई नियमावली बनाने का प्रस्ताव भेजा है।

आयुर्वेद फार्मेसी, पंचकर्म, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, नर्सिंग कोर्स में प्रशिक्षित युवाओं की मांग बढ़ रही है। कई युवा कोर्स करने के बाद आयुर्वेद चिकित्सा में निजी तौर पर सेवाएं देकर रोजगार हासिल कर सकते हैं। सचिव आयुष डॉ. पंकज कुमार पांडेय का कहना है कि आयुर्वेद कोर्स में प्रवेश के लिए नियमावली बनाने और अधिकतम आयु सीमा में छूट देने पर विचार किया जा रहा है।

जौनपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, बोले- सपा की रैलियों में रोज दिख रही भगदड़, मारपीट और अराजकता

जौनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का विकास चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने देश की तरक्की में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। सपा-कांग्रेस का गठबंधन देश के लिए अहितकारी और विनाशकारी है। यह चुनाव रामभक्त और राम द्रोहियों के बीच है। पाकिस्तान प्रेमी पाकिस्तान चले जाएं। इंडी गंठबंधन सत्ता में आई तो हिन्दुओं का हक छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री बुधवार को मुंगराबादशाहपुर के सार्वजनिक इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का उत्साह देखकर ही बता सकता हूं कि 4 जून को क्या परिणाम आएगा। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है फिर एक बार मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार। 400 पार के नारे से सपा- कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल डरे सहमे हुए हैं। देश की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है।

विपक्ष पर जमकर साधा निशाना

लोकसभा चुनाव के पांच चरण संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश में एक ही स्वर है-फिर एक बार मोदी सरकार अबकी पार-400 पार। यह सुनते ही समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। यह क्षेत्रीय पार्टी 60-62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में इनके प्रत्याशी ने नामांकन ही गलत भर दिया। कोई लड़ने के लिए नहीं मिला। जब सपा व कांग्रेस के लोग सत्ता के कोसों दूर हैं, तब भी अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अभी रोज भगदड़, मारपीट, अराजकता व नूराकुश्ती दिख रही है। जब यह सत्ता में रहे होंगे तो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसकर शोषण किया होगा, यह किसी से छिपा नहीं है।

सिंगापुर के बाद भारत में पैर पसार रहा कोरोना का नया वैरिएंट

नई दिल्ली। भारत में कोविड-19 के सब वैरिएंट केपी.2 से 290 और केपी.1 से 34 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ये दोनों सब वैरिएंट सिंगापुर में संक्रमण के मामले बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये दोनों जेएन1 वैरिएंट के सब वैरिएंट हैं और इनका संबंध अस्पताल में भर्ती होने के मामलों और गंभीर रूप से बीमार होने से नहीं है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

बंगाल में 2010 के बाद.....

शरारती लोग (भाजपा) अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं। जब भाजपा की वजह से 26 हजार लोगों की नौकरियां गईं तो मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही मैं आज कह रही हूं कि मैं आज का आदेश नहीं मानती हूं।

यह देश में कलंकित अध्याय-मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भाजपा का आदेश नहीं मानेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। उनके दुस्साहस की कल्पना कीजिए। यह देश में कलंकित अध्याय है। यह उपेन बिस्वास ने किया था। ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले सर्वे कराया गया था। पहले भी केस दर्ज हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सीएम ममता ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते? यह (ओबीसी आरक्षण) कैबिनेट, विधानसभा में पारित किया गया था और इस पर अदालत का फैसला भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा खेल रही है। सीएम ने साजिश गिनाए।

साजिश 1- संदेशखाली का पर्दाफाश। साजिश 2 साम्प्रदायिक दंगे। साजिश 3- क्या पीएम कभी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक तपशीली आरक्षण हड़प लेंगे? वह नहीं कह सकते। यह संवैधानिक गारंटी है। वे सिर्फ वोट की राजनीति और एक दिन के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि वे 5 साल तक अपना भ्रष्टाचार जारी रख सकें। मुझे ऑर्डर मिल गया है। अब मैं खेला करूंगी।

चुनाव से पहले दिल्ली....

देश की राजधानी समेत कई अन्य शहरों में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी भी कर चुके थे। उन्हें पाकिस्तान में बैठे अपने कमांडर फरतुल्लाह गौरी के आदेश का इंतजार था। पकड़े गए आतंकियों में से एक मोहम्मद नुसरत पाकिस्तानी आतंकी है। वह सीधे पाकिस्तान में बैठे फरतुल्लाह गौरी के संपर्क में था। हैदराबाद का रहने वाला फरतुल्लाह गौरी उर्फ सूफियान साल 1994 में सऊदी अरब फरार हो गया था। वहीं से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधयों को अंजाम दे रहा था। साल 2015 में वो पाकिस्तान फरार हो गया था। जहां पहले जैश के ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, लेकिन अब आईएसआई के इशारे पर हिंदुस्तान में आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट का काम कर रहा है। गृह मंत्रालय ने फरतुल्लाह गौरी को ए प्लस ग्रेड का आतंकी घोषित किया है। हैरानी की बात ये है कि फरतुल्लाह गौरी की आज तक एक स्केच के अलावा भारतीय जांच के पास कोई फोटो नहीं थी, लेकिन हाल ही में यूट्यूब पर 4 इस्लामिक प्रोग्राम सामने आने के बाद जांच एजेंसियों को उसकी नई पहचान के बारे खुलासा हुआ है।

निविदा/नियुक्ति/जाहिरात

कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी
महिला एवं बाल विकास जबलपुर
रेडक्रास भवन के बाजू में कलेक्ट्रेट परिसर
फोन नम्बर 0761-2623838
ईमेल-wejabalpur@gmail.com
क्रमांक/आई.सी.पी.एस/2024/146
जबलपुर दिनांक 21/05/2024

विज्ञप्ति

बालक/बालिका का नाम - अनमोल (संस्था द्वारा दिया गया नाम)
आयु - 03 वर्ष
लिंग - स्त्री
शारीरिक स्थिति - मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग

बालक/बालिका का नाम - बब्बू (संस्था द्वारा दिया गया नाम)
आयु - 05 वर्ष
लिंग - पुरूष
रंग - गेहूआ

बालक/बालिका का नाम - आरव (संस्था द्वारा दिया गया नाम)
आयु - 01 वर्ष
लिंग - पुरूष
रंग - गोरा

बालक/बालिका का नाम - अहाना (संस्था द्वारा दिया गया नाम)
आयु - 04 माह
लिंग - स्त्री
रंग - गोरा

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के अंतर्गत उक्त बालक/बालिकाओं को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाना है। इस संबंध में बालक/बालिकाओं के कोई वैधानिक अभिभावक जो उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से तीस दिवस के अंदर कार्यालीन दिवस व समय में पर्याप्त पुष्टिकारक प्रमाण के साथ, मातृछाया सेवा भारती, जबलपुर सेवाश्रय भवन स्कीम न0 11 शहनाई गार्डन के पास उखरी रोड़ जबलपुर कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। सम्पर्क करें श्री देवेश श्रीवास्तव (संस्था प्रबंधक) मोबाइल न0 9039404909, Email-jabalpurmatrachhaya@gmail.com, श्री ब्रजमोहन कोर्चे, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक देखभाल), महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जबलपुर, मोबाइल नं. 8839749760। समयावधि समाप्ति के उपरांत उक्त बालक को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी
G-11114/24 **महिला एवं बाल विकास जिला-जबलपुर**

पश्चिम मध्य रेल
ई-निविदा सूचना
उप मु.अभि.-नि.-III-भो-10-2024
दिनांक 18.05.2024

उप मुख्य अभियंता-III/निर्माण/पश्चिम मध्य रेल/भोपाल भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदायें आमंत्रित करते है। **निविदा सं.**- उप मु.अभि.-नि.-III-भो-10-2024, **कार्य का नाम लोकेशन सहित**- रामगंजमंडी - भोपाल नई बीजी रेल लाईन परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य में नरसिंहगढ़ बोड़ा-पचोर रोड पर किमी 200.378 पर आरओबी (1X36 मीटर + 1x18 मीटर स्पान कम्पोजिट गर्डर और एप्रोच) का निर्माण कार्य करना।, **निविदा का अनुमानित मूल्य (कीमत लाखों में)**- 2239.43, **बयाना राशि रूपये**- 1269700.00, **निविदा खुलने की तिथि**- 10.06.2024, **कार्य समापन अवधि (माह)**- 12 माह हारवेस्ट एवं मानसून सत्र सहित, ई-निविदा का संपूण वेबसाईट IREPS (www.ireps.gov.) पर देखा जा सकता है एवं उप मुख्य अभियंता/निर्माण/पश्चिम मध्य रेल/हबीबगंज/भोपाल के कार्यालय के सूचना पट पर भी उपलब्ध है। ई-निविदा के अलावा और कोई निविदा मान्य नहीं है। निविदाकार वेबसाईट को निविदा खुलने की तिथी तक लगातार देखते रहे ताकि यदि कोई शुद्धिपत्र है तो उसकी जानकारी हो सके। उप मुख्य अभियंता-III/निर्माण, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री नरेश ठाकुर आत्मज स्व. मुन्ना सिंह ठाकुर निवासी- 917/2 बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने गोल बाजार जबलपुर के द्वारा अपने छोटे पुत्र नमन ठाकुर एवं पुत्रवधु पूर्ति जैन ठाकुर को उनके दुर्व्यवहार एवं असामाजिक कृत्यों के चलते अपने परिवार तथा अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। उक्त दोनों मेरे पक्षकार तथा मेरे पक्षकार के अन्य परिजनों के साथ अनावश्यक वाद विवाद कर घर में उत्पात मचाते है परिजनों का कोई मान सम्मान नहीं करते हैं परिजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करना और उनको अपमानित करना आये दिन का काम हो गया है और मेरे पक्षकार की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते है तथा पुत्र गलत गतिविधियों में संलग्न होकर मेरे पक्षकार को पहले ही बहुत आर्थिक हानि पहुंचा चुका है। जिस कारण मेरा पक्षकार अब पुत्र नमन एवं पुत्रवधु पूर्ति से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहता है और उन्हें इस आम सूचना के जरिये अपने परिवार एवं अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता है। उक्त दोनों के द्वारा भविष्य में जो भी कृत्य किये जायेंगे उनके लिये यह स्वयं जबावदार रहेंगे। मेरे पक्षकार का उनके कृत्यों से तथा उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। दिनांक-22.05.2024

हरी सिंह ठाकुर (एडवोकेट)
ऑफिस-सरस्वती कॉलोनी, कमल भवन के पास, चेरीताल, जिला जबलपुर
मो.9300103342, 7477087354

कार्यालय, अमृतलाल दुबे लोकन्यास राइट टाउन
जिला जबलपुर न्यासपंजीयन कमांक 317/1970

आम सूचना

म.प्र. लोकन्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत

चूंकि माननीय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग अधारताल के रा.प्र.क. 0011/बी-113 (4)/2022-2023 आदेश दिनांक 2/5/2024 के द्वारा न्यास की संपत्ति मौजा सुभाष नगर न.ब. 773 प.ह.न. 31 रा.नि.म. जबलपुर-1 नगर निगम जबलपुर डायवर्सन शीट नं. 153 सी, प्लाट नंबर 480/1 सी लीज प्लाट नंबर 52/101 का भाग आवासीय (मकान नंबर 1911 नया 303) रकबा 7000 वर्गफुट भूमि के विक्रय की सक्षम अनुमति न्यास हित में म.प्र. लोकन्यास अधिनियम 1951 की धारा-14 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शाये गये निर्देशों के तहत प्रदत्त की गई। [illegible]

[illegible]

पं. अमृतलाल दुबे लोकन्यास
श्रीधर दुबे, म.नं. 130 ए
ए.पी.आर. कॉलोनी कटंगा, जबलपुर

IDBI BANK
आईडीबीआई बैंक लि., डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुम्बई, Website: www.idbibank.in
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, त्रिलोक, तल मंजिल, सूर्या होटल के सामने, राईट टाउन, जबलपुर (म.प्र.) 482002

अचल सुरक्षित संपतियों की बिक्री के लिए पूर्व बिक्री सूचना सरला सिंह (उधारकर्ता) और प्रवीण कुमार बोरकर (सह-उधारकर्ता)

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी आपको निम्नानुसार नोटिस देता है।

आईडीबीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (नियम) के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम दिनांक 16.06.2022 और पेपर प्रकाशन दिनांक 23.07.2022 आपको नोटिस में उल्लिखित राशि रु. चुकाने के लिए 31.03.2022 को ऋण के संबंध में बकाया राशि के लिए 2978532/- (केवल उनतीस लाख अठहत्तर हजार पांच सौ बत्तीस रुपये), साथ ही दिनांक से 60 दिनों के भीतर 31.03.2022 से उस पर अतिरिक्त ब्याज भी शामिल है। उक्त नोटिस. चूंकि आप अपने संबंधित ऋण खातों में देय और बकाया राशि को चुकाने में विफल रहे, इसलिए अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियमों के नियम 8 (1) के साथ पढ़े जाने पर, अधोहस्ताक्षरी ने भौतिक कब्जा ले लिया। उधारकर्ता की अचल सुरक्षित संपत्ति

संपत्ति का विवरण

भूमि का वह सारा टुकड़ा और पार्सल जो प्लाट, गैट, ब्लाक, सर्वे नंबर मोहित टाउनशिप यूनिट नंबर 1 एन बी 401 में शामिल है और उसका हिस्सा है और जैसा कि उल्लेख किया गया है- पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- सरकारी भूमि, दक्षिण में- यूनिट नंबर 2, उत्तर में- सड़क साथ ही उन पर मौजूद सभी इमारतें और संरचनाएं और सभी संयंत्र और मशीनरी जमीन से जुड़े हुए हैं या स्थायी रूप से जमीन से जुड़ी किसी चीज से जुड़े हुए हैं।

प्रतीकात्मक कब्जा लेने पर अधोहस्ताक्षरी ने आपको दिनांक 12.10.2022 को कब्जा नोटिस जारी किया था और इसे 18.10.2022 को अंग्रेजी समाचार पत्र द हितवादा और हिंदी समाचार पत्र नई दुनिया में प्रकाशित किया था और उसके बाद भौतिक कब्जा लेने पर, दिनांक 12.10.2022 को कब्जा नोटिस जारी किया है 12.01.2024 को आपको और नियमों के नियम 8 (1) और नियम 8 (2) के अनुपालन में अंग्रेजी समाचार पत्र द पायनियर और हिंदी समाचार पत्र देशबंधु में 16.01.2024 को प्रकाशित किया गया।

उधारकर्ता की अचल सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा लेने के लिए, अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें बेचने का प्रस्ताव रखा है। तदनुसार, आपको नियमों के नियम 9(1) के तहत नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित अचल सुरक्षित संपत्ति इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के बाद नियम 8(5) में उल्लिखित निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक को अपनाकर बेची जाएगी। नियमों के अनुसार (ए) सुरक्षित परिसंपत्तियों से निपटने वाले या अन्यथा ऐसी परिसंपत्तियों को खरीदने में रुचि रखने वाली पार्टियों से कोटेशन प्राप्त करके या (बी) जनता से निविदाएं आमंत्रित करके या (सी) ई-नीलामी मोड सहित सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके या (डी) निजी संधि द्वारा।

हालाँकि, आप पूरी बकाया राशि रुपये 2978532/- (केवल उनतीस लाख अठहत्तर हजार पांच सौ बत्तीस रुपये) का भुगतान कर सकते हैं 31.03.2022 से उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित और ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विचाराधीन अचल सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा वापस ले लें। यदि आप नोटिस दिनांक 16.06.2022 और कब्जा नोटिस दिनांक 12.01.2024 (16.01.2024 को अंग्रेजी समाचार पत्र द पायनियर और हिंदी समाचार पत्र देशबंधु में प्रकाशित) में मांगी गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, साथ ही उस पर 31.03.2022 से अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर, अधोहस्ताक्षरी आईडीबीआई बैंक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक उपरोक्त किसी भी तरीके को अपनाकर अचल सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। कृपया ध्यान दें यह नोटिस आपको नियमावली के नियम 9(1) के तहत जारी किया गया है।

स्थान : जबलपुर, दिनांक - 23/05/2024
अधिकृत अधिकारी
आईडीबीआई बैंक लि. शाखा - जबलपुर

IDBI BANK
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आंचलिक कार्यालय, प्रथम तल, सेंटर प्वाइंट, वाणिज्यिक परिसर, टी टी नगर, न्यू मार्केट, भोपाल 462003. फोन- 0755-4848321, ईमेल- mahendra.agarwal@idbi.co.in

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
परिशिष्ट IV-ए [नियम 9(1) का परंतुक देखें]

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित। इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, गारंटरों और बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, [illegible]

क्र.	उधारकर्ता का विवरण / गारंटर/बंधककर्ता	अचल सुरक्षित संपत्ति का विवरण द्वारा बंधक रखा गया	आरक्षित मूल्य	अग्रिम राशि जमा
1.	श्री मनोज गुरंग (उधारकर्ता और बंधककर्ता) श्रीमती शालू गुरंग (सह-उधारकर्ता)	[illegible] भौतिक कब्जा दिनांक - 04.07.2022	3,50,000/-	35,000/-

महत्वपूर्ण तिथियाँ-

[illegible]

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिन का नोटिस -

[illegible]

दिनांक- 23/05/2024 स्थान - जबलपुर प्राधिकृत अधिकारी - आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

In The Court of VIII Civil Judge Class-I, District Court, Jabalpur
presiding Officer:
अंकिता शाही
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक (MJC SUC/0000062/2024)
जगनदीप सिंह आनंद..........आवेदक
Vs
आम जनता .....अनावेदक
Process Id- /2024
पेशी दिनांक:-18/07/2024

प्रेषिती-
(1) आम जनता पता - जबलपुर मप्र
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक जगनदीप सिंह आनंद पता निवासी 1228, नेपियर टाउन, जबलपुर मध्यप्रदेश ने मृतक जुगिनदर कौर निवासी- 1209, मदन महल, प्रेमनगर, जबलपुर मध्यप्रदेश की पंजाब नेशनल बैंक, नागपुर रोड जबलपुर में जमा राशि प्राप्ति हेतु राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 18 जुलाई 2024 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 18 जुलाई को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 21 मई 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा
टिप्पणी- प्रकाशन एवं उपस्थिति हेतु नोटिस के साथ दिवंगत श्रीमती जुगिंदर कौर की सावधि जमा के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये याचिका की छायाप्रति संलग्न है।
कृपया ध्यान दें- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

(श्रीमती अंकिता शाही)
अष्टम सिविल न्यायाधीश
र.नं. 353 (वरिष्ठ खण्ड) जबलपुर (म.प्र.)

In The Court of III Civil Judge Class-I, District Court, Jabalpur
presiding Officer:
दीपा पॉल
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक (MJC SUC/0000017/2024)
जसप्रीत कौर.............आवेदक
Vs
भारत संघ......... अनावेदक
Process Id- /2024
पेशी दि.:-16/07/2024

प्रेषिती-
(1) आम जनता पता - जबलपुर म.प्र.
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक जसप्रीत कौर पता 827, जार्ज डिसिल्वा वार्ड पुराने पोस्ट आफिस के समीप गोरखपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) ने मृतक टहल सिंह प्लाजा निवासी- 827, जार्ज डिसिल्वा वार्ड पुराने पोस्ट आफिस के समीप गोरखपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) की भारत संघ द्वारा जनरल मैनेजर वेस्ट सेंट्रल रेल्वे, जिला जबलपुर (म.प्र.) राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/ संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 16 जुलाई 2024 को नियत है।
यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/ संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 16 जुलाई 2024 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 26 अप्रैल 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा-
टिप्पणी -प्रकाशन नोटिस के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की छायाप्रति संलग्न है।
कृपया ध्यान दें- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

(दीपा पॉल)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
र.नं. 354 जबलपुर, (म.प्र.)

न्यायालय नायब तहसीलदार
गोरखपुर जबलपुर
रा.प्र.क्र. 1752/ अ-6/2023-24
आम इश्तहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मनीष सोनकर कुंवर बहादुर सोनकर निवासी-116 नर्मदा नगर ग्वारीघाट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक .... के माध्यम से मौजा गोरखपुर प्लॉट नं.बं. 654 प.ह.नं. 9 ख.नं. 642/30, 642/31 रकवा 0.0520 वर्गफुट विक्रेता शशिकांत सोनकर बृजमोहन सोनकर अन्य स्व. छोटे लाल से क्रय की गई भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने पंजीकृत विक्रय पत्र वसीयतामा/ बटवारानामा/ हस्तांतरण पत्र/ हकत्याग पत्र/ दान पत्र एवं नक्शा बटांक की छायाप्रति संलग्न कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त नामांतरण स्वीकृत किये जाने में यदि किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति पेशी दिनांक 27/05/2024 तक स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 22/05/2024 को जारी।
जारी दिनांक 22/05/2024
पेशी दिनांक 27/05/2024
र.नं. 356 नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी गोरखपुर, जबलपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार
तहसील अधारताल जबलपुर
रा.प्र.क्र. 214/ अ-6/2024-25
जबलपुर दिनांक 21/5/24
आम इश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रेखा पटैल पति श्री अजय कुमार पटैल निवासी आई.टी.आई. माढ़ोताल, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा ग्राम माढ़ोताल नं.बं. 660 प.ह.नं. 25 राजस्व निरीक्षक मंडल जबलपुर में स्थित खसरा नं. 196/1 का भाग रकवा 807 व.फु. भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30/03/2000 के माध्यम से क्रय की गई परिवर्तित भूमि का नामांतरण किये जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। वर्तमान में भूमि श्री अबरार अहमद पिता श्री रहमत बक्श के नाम दर्ज है। तत्संबंध में नामांतरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेल पेशी दिनांक 05/06/2024 तक कार्यालय अतिरिक्त तहसीलदार तहसील अधारताल जबलपुर में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के द्वारा पेश कर सकता है। पेशी अवधि व्यतीत हो जाने पर प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
जारी दिनांक 21/05/2024
पेशी दिनांक 05/06/2024
र.नं. 358/366 नायब तहसीलदार तहसील अधारताल, जबलपुर

Narmada Gelatines Limited
Registered Office : 28 Caravs, 15 Civil Lines, Jabalpur - 482001
Tel:0761-2830433, Fax :2830516, Email:ngljbp@rediffmail.com website:www.narmadagelatines.com
CIN : L24111MP1961PLC016023
Statement of audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2024
Rs.lacs

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)*	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)*	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	4,997	4,753	5,005	18,341	19,343
2	Net Profit / (loss) before tax, exceptional and extra ordinary item	657	459	628	2,058	1,981
3	Net Profit / (loss) before tax after exceptional and extra ordinary item	657	459	628	2,058	1,981
4	Net Profit / (loss) after tax	491	342	462	1,533	1,528
5	Total Comprehensive Income :					
	Item that will not be reclassified to profit & loss account : Employee Benefits - Actuarial (Gain) / Loss recognised in other comprehensive income	(27)	-	6	(27)	(6)
6	Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- each)	605	605	605	605	605
7	Earning per share (Weighted Average) (₹)					
	Basic and diluted earnings per share (Face value of Rs.10 each) (Not annualised)(Rs.)	8.12	5.65	7.64	25.34	25.26

Notes :
1 The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 21st May, 2024 and have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
2 The above is an extract of the detailed format of the Audited financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024, filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results are available on the Stock Exchange website viz. www.bseindia.com and Company's website viz.www.narmadagelatines.com.

For Narmada Gelatines Limited
sd/-
(Ashok K Kapur)
Managing Director
DIN-00126807

Place: Jabalpur
21st May, 2024

न्यायालय अति. तहसीलदार
गोरखपुर जबलपुर
रा.प्र.क्रं./2126/अ-6/20......
इश्तहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजू ठाकुर पिता स्व. लल्लू ठाकुर निवासी 156, पीएनटी धनवन्तरी नगर जबलपुर द्वारा फौती के आधार पर उनके स्व. शुकनतला ठाकुर मृत्यु दिनांक 7.11.2022 को हो जाने से उनका नाम विलोपित कर मौजा कुगवां नं.बं. 499 प.ह.नं. 34 ख.नं. 84/86 रकवा 1500 वर्गफुट भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज रखने फौती नामांतरण की छायाप्रति संलग्न कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त नामांतरण स्वीकृत किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित पेशी दिनांक 6.6.24 तक स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 21.05.24 को जारी।
जारी दिनांक - 21.05.2024
पेशी दिनांक - 06.06.2024
अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी
रं.नं. 345 गोरखपुर, जबलपुर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं Rahul Chourasia पिता Late Ramesh Chourasia निवासी H-no- 338/1 Pushp nagar, near kachhpura bridge mall godam, Jabalpur M.P. कथन करता हूँ कि मेरा पेन कार्ड नं. AHHPC9645B आधार नं. 5740 5954 1324 है यह कि मेरे कक्षा 10 वीं की अंक सूची में मेरा नाम Rahul kumar chourasia पिता Ramesh Chourasia लिखा है जिसे मैंने बदलकर Rahul chourasia पिता Late Ramesh Chourasia कर लिया है। अतः मुझे Rahul Chourasia पिता Late Ramesh Chourasia नाम से जाना व लिखा जाए।
पूर्व नाम - Rahul kumar chourasia पिता Ramesh Chourasia
परिवर्तित नाम - Rahul Chourasia पिता Late Ramesh Chourasia
र.नं. 355

नाम सुधार सूचना

मैं शपथकर्ता राकेश कुमार कुशवाहा पिता श्री रामचंद्र निवासी 307/ अमखेरा रोड नियर दुबे कामर्स कोचिंग गोहलपुर बस्ती नं. 2 जबलपुर म.प्र. का शपथपूर्वक कथन करता हूं कि-
1. यह कि मेरी कक्षा दसवी की अंकसूची में मेरा नाम राकेश कुमार दर्ज है।
2. यह कि मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम राकेश कुमार कुशवाहा दर्ज है।
3. यह कि जहां कहीं भी आवश्यकता हो तो मुझे राकेश कुमार कुशवाहा के नाम से ही लिखा पढ़ा माना जावे।
शपथकर्ता
र.नं. 344 राकेश कुमार कुशवाहा

न्यायालय तहसीलदार
तहसील अधारताल जबलपुर
रा.प्र.क्रं./287/अ-6/2024-25
जबलपुर, दिनांक 3/5/24
आम इश्तहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री भूपेन्द्र पाल सिंह पिता स्व. जागीर सिंह निवासी सिंघई कॉलोनी बरही रोड के द्वारा मौजा आमनपुर ब्लॉक नंबर... प्लाट नंबर... स्थित भूमि खसरा नंबर 104/4 में से रकवा 0.155 हे. भूमि जो राजस्व रिकार्ड में स्व. बेला सिंह वल्द छज्जू राम के नाम से दर्ज है। वारसान ने खातेदार 1/3/1973 से जिनकी मृत्यु हो जाने से वारसान हक में फौती/वसीयत नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।
तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 10/06/24 तक इस न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
जारी दिनांक- 03.05.2024
पेशी दिनांक - 10.06.2024
तहसीलदार
रं.नं. 352 अधारताल, जबलपुर

https://epaper.deshbandhu.co.in/view/5548/deshbandhu-jabalpur/2 2/3